

मैनुअल XVII

ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है; और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करना;

[धारा 4(1)(b)(xvii)]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग की तिमाही रिपोर्ट के लिए समेकित सूचना
--

विभाग/संगठन का नाम: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम: नामित पीआईओ का नाम: नामित एपीआईओ का नाम:	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग श्री राजेश दांगी, सचिव श्री चंद्रकांत राय, संयुक्त सचिव श्री नवीन बुंडावल्ली, सहायक लेखा अधिकारी
---	--

(जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 की तिमाही के लिए)

	प्रारंभिक जमा जैसे कि शुरुआत में	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकार कर दिए गए	निर्णय जहां अनुरोध/अपील का उत्तर दिया गया
अनुरोध	122	18	142	7	0	134
प्रथम अपील	1	N/A	18	N/A	0	13

पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रुपये में) धारा 7(1) के अंतर्गत	अतिरिक्त. शुल्क एकत्रित (रुपये में) धारा 7(3) के अंतर्गत	धारा 20(1) के तहत सीआईसी के निर्देशानुसार वसूल की गई जुर्माना राशि (रुपये में)	ऐसे मामलों की संख्या जहां धारा 20(2) के तहत किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई
486	1794	0	0

कई बार अनुरोधों को अस्वीकार करते समय विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रासंगिक धारा													
धारा 8 (i)											धारा		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य
शून्य													

(अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए)

	प्रारंभिक जमा जैसे कि शुरुआत में	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकार कर दिए गए	निर्णय जहां अनुरोध/अपील का उतर दिया गया
अनुरोध	141	13	85	14	0	102
प्रथम अपील	6	N/A	9	N/A	0	15

पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रुपये में) धारा 7(1) के अंतर्गत	अतिरिक्त. शुल्क एकत्रित (रुपये में) धारा 7(3) के अंतर्गत	धारा 20(1) के तहत सीआईसी के निर्देशानुसार वसूल की गई जुर्माना राशि (रुपये में)	ऐसे मामलों की संख्या जहां धारा 20(2) के तहत किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई
340	2230	0	0

कई बार अनुरोधों को अस्वीकार करते समय विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रासंगिक धारा													
धारा 8 (i)										धारा			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य
शून्य													

(जनवरी 2024 से मार्च 2024 की तिमाही के लिए)

	प्रारंभिक जमा जैसे कि शुरुआत में	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकार कर दिए गए	निर्णय जहां अनुरोध/अपील का उतर दिया गया
अनुरोध	123	19	61	4	0	81
प्रथम अपील	0	N/A	6	N/A	0	6

पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रुपये में) धारा 7(1) के अंतर्गत	अतिरिक्त. शुल्क एकत्रित (रुपये में) धारा 7(3) के अंतर्गत	धारा 20(1) के तहत सीआईसी के निर्देशानुसार वसूल की गई जुर्माना राशि (रुपये में)	ऐसे मामलों की संख्या जहां धारा 20(2) के तहत किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई
110	42	0	0

कई बार अनुरोधों को अस्वीकार करते समय विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रासंगिक धारा													
धारा 8 (i)										धारा			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य
शून्य													

हस्ताक्षर :	
अधिकारी का नाम और पद :	श्री चंद्रकांत रॉय, संयुक्त सचिव
टेलीफोन :	011-416080417

* प्रारंभिक आवेदनों के रूप में पीआईओ द्वारा प्राप्त अनुरोध।
** प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों के अनुसार।
\$ आंशिक रूप से स्वीकृत।